कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1951 / FP/UK/ROAD/23820/2017 :देहरादून:दिनांक: 15 फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में सौगढ़–पंतगॉव–चमड़खान मोटर मार्ग सिंगल लेन से डेढ़ लेन में परिवर्तन किये जाने हेतु 0.612 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या 23820/2017)

संदर्भः–भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/32/2018/एफ0सी0/1794 दिनांक 27.11.2018।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा का पत्रांक 3646/12–1 (2) दिनांक 19.01.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2104/12–1 (2) दिनांक 31.01.2023 के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, **(प्रति संलग्न)** जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 612 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि 612 वृक्षों के वृक्षारोपण के एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु रू0 673220.00 UTR नम्बर SBIN819088337805 दिनांक 29.03.2019 को जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 402084.00 UTR नम्बर SBIN819088337805 दिनांक 29.03.2019 कुल रू0 1075284.00 मात्र ऑनलाईन द्वारा जमा कर दिया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गयी। धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
6	राज्य सरकार पार्ट I, II, III एवं IV तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (SIR) की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी।	शर्त संख्या-06 के अनुपालन में अवगत करना है कि पार्ट I, II, III एवं IV तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (SIR) की मूल प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 2060 दिनांक 17.02.2018 द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये हैं, जिनकी छायाप्रतियां पुनः संलग्न कर प्रेषित हैं।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- 1981 / FP/UK/ROAD/23820/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2104/12-1 (2) दिनांक 31.01.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

15/02/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-297600
Fax No. – 05966-297600
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक 102 /18सी0

दिनांक, रानीखेत, 12/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा,
वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में सौगढ़-पंतगॉव-चमड़खान मोटर मार्ग सिंगल लेन से ढेड़ लेन में परिवर्तन किये जाने हेतु 0.612 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 1866/12-1(2) दिनांक 28.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपत शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत हैः–

क्र. सं.	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 612 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	612 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 673220.00 UTR नम्बर SBIN819088337805 दिनांक 29.03.2019 को जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 402084.00 UTR नम्बर SBIN819088337805 दिनांक 29.03.2019 कुल रू0 1075284.00 मात्र ऑनलाईन द्वारा जमा कर दिया गया है। छाया प्रति संलग्न है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाय। अन्य माध्यमों से जमा की गयी। धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	छाया प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्रमशः पेज-2

Scanned with OKEN Scanner

6	राज्य सरकार पार्ट I, II, III, एवं IV तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्थल निरीक्षण रिपार्ट (SIR) की मूल प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति से पूर्व ही कार्यालय नोड़ल अधिकारी देहरादून में मूल में जमा की जा चुकी है।

संलग्नः– 4 नं0 प्रतियों में।

भवदीय,

11/01/23

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

11/1/2023

Scanned with OKEN Scanner

बचनबद्धता का प्रमाण पत्र।

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में सौगढ़–पंतगॉव–चमड़खान मोटर मार्ग सिंगल लेन से डेढ़ लेन में परिवर्तन किये जाने हेतु 0.612 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय / भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

11/01/23

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत
11/1/2023

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में सौगढ़–पंतगॉव–चमड़खान मोटर मार्ग सिंगल लेन से डेढ़ लेन में मोटर मार्ग का नव निर्माण के पश्चात सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस विभाग द्वारा Strip Plantation करा दिया जायेगा।

11/01/23

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

11/1/2023

Scanned with OKEN Scanner

CHALLAN

कौशाद - पंतगांव - चमरखान
सीवर मार्ग सिगड्डी से ढुबड़ी
[illegible]

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 29-03-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6123820396
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/32/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(in Rs)	1075284/-

Amount in Words :Ten Lakh Seventy-Five Thousand Two Hundred and Eighty-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896123820396 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

29/3/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
रानीखेत (अल्मोड़ा)

UTR NO- SBIN8190883378 05

00704
5648
29 MAR 2019
Ankit Chhaniya

Scanned with OKEN Scanner